

1190

3017

Fax / Email

S.P. HQ / Admin & P.H.Q / अधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन

साम्राज्यिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या-505के / छ:-सानिप्र-20-15(25) / 2018
लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2020

आदेश

अपर पुलिस सहानिदेशक, मुख्या
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।

29.7.2020

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (तीनों अंगों—थल, जल एवं वायु सैना) के शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को ₹-50,00,000/- (रुपये पचास लाख) की अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त निर्णय के कम में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केंद्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के कर्तव्य पालन/झूटी के दौरान शहीद जावानों के अभित/परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत नियम/उप नियम/उपबन्ध एवं व्यवस्थायें विनिर्दिष्ट करते हैं:-

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ एवं
विस्तार

1. (क) उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा कोन्हीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के शहीद जवानों के आनंदि/परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में "कार्यकारी आदेश" के नाम से अभिज्ञात होगा।
 (ख) यह "कार्यकारी आदेश" दिनांक-01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

परिमाणाएँ

2. शहीद- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/इयूटी के दौरान आतंकवाद, अतिवादी, अराजकतावों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर दुश्मन से झाड़प, छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों/अतिवादी गतिविधियों, विस्फोटकों की हैण्डलिंग, चिकित्सकीय कारणों/अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक आपदाओं अथवा अति खराब मौसम/दुर्घटना इत्यादि के फलस्वरूप मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बांहर के निवासी जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाने पर शहीद माना जायेगा।

अनुमन्य
आर्थिक
सहायता का
वितरण

3. उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केंद्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/द्युटी के दोषानशील जवानों के आश्रित/परिवार को ₹-50,00,000/- (रुपये पचास लाख) की अनुग्रह आर्थिक सहायता निम्नवत् वरियता कम में वितरित की जायेगी -

- (1) यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो शहीद के परिवार हेतु उसकी पत्नी को ₹-35,00,000/- (रुपये पैंतिस लाख) तथा माता-पिता अथवा उनमें से जो कोई जीवित हो को माता-पिता को अनुमन्य धनराशि ₹-15,00,000/- (रुपये पञ्चह लाख) वितरित की जायेगी।
 - (2) शहीद के विवाहित होने तथा माता-पिता में से किसी एक के भी जीवेत नहीं होने की दशा में माता-पिता को अनुभन्य धनराशि सहित शहीद की पत्नी को कुल ₹-50,00,000/- वितरित की जायेगी।

शिथिलीकरण
अथवा
विवलन

(3) शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि सहित उसके माता-पिता अथवा उसमें जो भी जीवित हों को कुल ₹-50,00,000/- (रुपये पचास लाख) वितरित की जायेगी।

4. (1) उक्त निर्धारित की गई सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा उपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग में उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
(2) निर्धारित की गयी सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दिये जाने/शिथिलीकरण किये जाने हेतु मात्र मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (श्ल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/झूठटी के दौरान शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता ₹-50,00,000/- (रुपये पचास लाख) दिये जाने के प्रयोजनार्थ इस आदेश में वर्णित एवं उल्लिखित उपबन्धों का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव, गृह

संख्या-505के(1)/उ.-सानिप्र-20 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को शासन द्वारा निर्गत
3. वित्तीय स्वीकृति के कम में बजट आवंटन हेतु।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
5. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पुलिस महानीरीक्षक/पुलिस उपमहानीरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. पुलिस महानीरीक्षक, मध्य सेक्टर मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, टी.सी.-32/वी,
8. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
14. गृह (पुलिस) अनुभाग-6, तथा 10
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
३०/५/२०२०
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी